दस रुपये
TEN RUPEES

दस रुपये
TEN RUPEES

(40)

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांकः–   /2009 अपील – 348 - I/09

नगर पंचायत परिषद् भानपुरा, द्वारा – मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत भानपुरा

–– अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर

–– प्रत्यर्थी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता। न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 192/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9/3/2009 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत ।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नानुसार अपील का स्मरण लेख सादर प्रस्तुत है :–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, कस्बा भानपुरा में एक भूमि सर्वे नंबर 1833 रकबा 9.26 एकड़ की स्थित है इस भूमि को प्रकरण क्रमांक 6–60–अ–38 में पारित आदेश दिनांक 19/6/1960 के द्वारा अपीलार्थी को कम्पोस्ट खाद हेतु पट्टे पर आवंटित किया गया था । इस पट्टे को निरस्त करने के लिये कलेक्टर कार्यालय में प्रकरण क्रमांक 5–अ–20(1)/06–07 कायम कर दिनांक 11/3/2007 को धारा 182 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत पट्टा निरस्त कर दिया गया और भूमि को अलग–अलग भागों में निर्मित करने के लिये हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया ।

कलेक्टर महोदय के उक्त आदेश दिनांक 11/3/2007 को अपीलार्थी के द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष चुनौती दी गई थी और यह याचिका प्रकरण क्रमांक 2074/07 पर कायम होकर दिनांक 22/11/2007 ...

XXIX(a)-BR(H)-11

नगर पंचायत परिषद / म०प्र० शासन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A 348-I/09 जिला [illegible]

न तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-15	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर पुकार लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.